

**राजस्थान सरकार**  
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**

क्रमांक: प.22(1)न्याय/22


जयपुर, दिनांक: 24.01.2022

**:: आज्ञा ::**

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक आधार पर एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं :-

क्र. सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	रूप बसंत शर्मा	उप विधि परामर्शी राजस्व (ग्रुप-7) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	उप विधि परामर्शी निदेशालय कृषि विभाग, जयपुर	श्री शर्मा के स्थान पर
2.	ओम प्रकाश शर्मा	उप विधि परामर्शी निदेशालय कृषि विभाग, जयपुर	उप विधि परामर्शी नगरीय विकास एवं आवासन, सचिवालय, जयपुर	रिक्त पद पर
3.	मोहम्मद जाहिद रशीद, सहायक विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी नगरीय विकास एवं आवासन, सचिवालय, जयपुर	उप विधि परामर्शी राजस्व (ग्रुप-7) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	उप विधि परामर्शी के पद के विरुद्ध श्री रूप बसंत के स्थान पर
4.	कपिल महर्षि	उप विधि परामर्शी आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, जयपुर	कार्यालय विशिष्ट शासन सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	श्री मानसिंह के सेवानिवृति दिनांक 31.01.2022 से होने वाले रिक्त पद के विरुद्ध

**आज्ञा से**

  
**(पुरुषोत्तम लाल सैनी)**  
**संयुक्त शासन सचिव**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
4. उपरोक्त सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में हर सूरत में कार्यमुक्त हो कर अथवा विभाग द्वारा कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में बिना कार्यमुक्त हुए नव पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाकर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट भी इस विभाग को अविलम्ब भिजवाये।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

  
**संयुक्त शासन सचिव**